महत्वपूर्ण एवं खास

राजधानी में 24 मई तक बढ़ा लाकडाउन : आदेश जारी

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में 24 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बीते चार दौर के लॉकडाउन के बाद अब पांचवे दौर का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, यह लॉकडाउन रियायतों भरा रहेगा, इन रियायतों में राजधानी में दुकानों के खुलने का समय का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में चौथे चरण का लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगा। दो दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने व्यापारियों और सभी कलेक्टरों की बैठक की थी, जिसमें प्रदेश के जिलों में रियायतों भरा लॉकडाउन लगाने के आदेश कलेक्टरों को दे दिए थे, जिसको लेकर अलग-अलग जिलों से लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबर आ रही है। इस दौरान सभी मॉल, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

बिलासपुर में लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा, नियमों का पालन सख्ती से होगा

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले बढ़ते करोना को देखते हुए में विगत एक महीने से लॉक डाउन लगाया गया है। 15 मई तक लगे लॉकडाउन की अवधि को जिला प्रशासन ने फिर एक बार बढ़ाते हुए आगामी 24 मई की रात 12:00 बजे तक कर दिया है। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन में फिर एक बार विस्तार किया गया है। कुछ दिनों से जिले में लगातार कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं इसके साथ ही कोरोना से होने वाली मृत्यु का आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। लेकिन खतरे को देखते हुए और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने जारी आदेश में गली मोहल्ले कॉलोनियों में एकल किराना अंडा, पोल्ट्री, मछली, मटन की दुकानों को अधिकतम शाम 4 बजे तक खोलने की छूट दी गई है।

ईत्तागुड़ा से 01 मिलिशिया सदस्य गिरफ्तार

बीजापुर (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान में उसूर थाना क्षेत्र से एक नक्सली मिलिशिया सदस्य सन्ना मड़कम को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि जिले में संचालित नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गुरुवार शाम को सीआरपीएफ 229 एफ कंपनी का बल एवं गलगम से सीआरपीएफ 196/डी समवायक की संयुक्त टीम ईत्तागुडा की ओर निकली थी। अभियान के दौरान ईत्तागुड़ा से एक मिलिशिया सदस्य सन्ना मड़कम को गिरफ्तार किया गया है। जिस पर उसूर थाना क्षेत्र में गलगम स्कूलपारा निवासी रमैया कट्टम को जनअदालत में मारपीट कर गांव छोड़कर चले जाने एवं घर में लूटपाट करने की घटना में शामिल होने का आरोप है, तथा इसके विरूद्ध उसूर थाना में एक स्थाई वारंट भी लंबित है।

शराबी बेटा माता पिता के साथ कर रहा था विवाद ,समझाने पर बहन के साथ किया मारपीट

रायपुर (आरएनएस)। शराब के नशे में माता पिता से गाली-गलौच रहे युवक को समझाने पर बहन के मारपीट कर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट सेजबहार थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम छछानपैरी मुजगहन निवासी श्रीमती सुनीता बाई कोसले 41 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 12 मई को रात 11 बजे ग्राम छछानपैरी में प्रार्थिया का भाई देवेन्द्र डहरिया माता-पिता के साथ शराब के नशे में विवाद कर रहा था। समझाने पर गाली-गलौच कर पीड़िता के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

राज्य शासन ने सभी मनरेगा श्रमिकों को एकरूपता से मजदूरी भुगतान के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को लिखा पत्र

» भारत सरकार ने 1 अप्रैल से बदली है मजदूरी भुगतान व्यवस्था, नई व्यवस्था के तहत वर्गवार तीन अलग-अलग खातों से मजदूरी भुगतान

» अजा और अजजा के नए खातों की बैंक द्वारा पी.एफएम.एस. मैपिंग, भारतीय स्टेट बैंक ने कहा 14 मई तक पूर्ण होगा पी.एफएम.एस. मैपिंग का काम

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर सभी वर्गों के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एकरूपता से किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम) के संयुक्त सचिव को लिखे पत्र में विभाग ने जानकारी दी है कि मनरेगा के तहत एक ही ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य वर्ग के श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के लिए एफटी.ओ. जारी किया गया था। इनमें से केवल अन्य वर्ग को ही भुगतान हो रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के श्रमिकों का भुगतान नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक मनरेगा में कार्यरत सभी वर्ग के श्रमिकों का मजदूरी भुगतान एक नोडल खाते से एन.ई.एफएम.एस. के माध्यम से हो रहा था। राज्य शासन ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे पत्र में बताया है कि भारत सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान के लिए नए नियम लागू करने के कारण यह समस्या हो रही है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से मजदूरी भुगतान के लिए राशि वर्गवार (सामान्य, अजा एवं अजजा) जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके परिपालन में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राशि प्राप्ति हेतु दो पृथक-पृथक खाते विगत मार्च माह में खोले गए हैं। सामान्य वर्ग के श्रमिकों के भुगतान के लिए भारत सरकार से 26 अप्रैल 2021 को 241 करोड़ 80 लाख रूपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि से सामान्य वर्ग के श्रमिकों की मजदूरी राशि उनके खातों में अंतरित हो रही है। अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 5 मई 2021 को पांच करोड़ 26 लाख रूपए और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए 11 मई 2021 को 122 करोड़ नौ लाख रूपए प्राप्त हुए हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत प्राप्त राशि से भुगतान नही हो पाने के संबंध में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव से चर्चा हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में वर्गवार भुगतान संबधी परिवर्तन के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर पर राज्यों हेतु नामित डी.डी.ओ. को एक दिन में ही बहुत अधिक एफटी.ओ. पर डिजिटल हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं तथा वर्तमान में लॉक-डाउन के कारण उन्हें यह कार्य सीमित संसाधनों के साथ घर से करना पड़ रहा है, इसलिए इसमें अधिक समय लग रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में मनरेगा के नोडल बैंक भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक (शासकीय बिजनेस) से चर्चा करने पर उनके द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति मद के नए खुले खातों को पी.एफएम.एस. में मैपिंग करने का कार्य चल रहा है। इसलिए इस मद में राशि प्राप्त होने के बाद भी क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। बैंक ने बताया है कि मैपिंग का कार्य 14 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

ब्लैक फंगसः हर जिले में उपलब्ध रहेगी हर जरूरी दवा

» मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर व्यापक तैयारियां

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में ब्लैक फंास के खतरों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। इस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक हर जरूरी दवा प्रदेश के हर जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। गौरतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंास के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए इसके रोकथाम के लिए लगने वाली आवश्यक दवाएं पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरसिन-बी औषधियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हर जिले में सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पहले ही दिए जा चुके है। जिसके परिपालन छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक द्वारा सभी जिलों में पदस्थ औषधि निरीक्षकों के माध्यम से सभी जिलों में औषधि पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरेसिन-बी (समस्त डोसेज फॉर्म, टेबलेट, सीरप, इंजेक्शन एवं लाइपोसोमल इंजेक्शन) की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक द्वारा औषधि निरीक्षकों को यह भी निर्देशित किया गया है, कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र के भीतर समस्त होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सीएंडएफ से उक्त औषधियों की वर्तमान में उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करें और अपने क्षेत्र के सभी औषधि प्रतिष्ठानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें।

कोरोना संकट के बावजूद तेंदूपत्ता संग्रहण इस साल भी द्रुत गति से जारी

» 16.71 लाख मानक बोरा के लक्ष्य के विरूद्ध 4.77 लाख मानक बोरा संग्रहित

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021 के दौरान अब तक 4 लाख 76 हजार 631 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य के एक चौथाई से अधिक है। राज्य में चालू वर्ष के दौरान 16 लाख 71 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता के संग्रहण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना-संकट के दौरान आर्थिक गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन तथा आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए वनवासियों द्वारा तेंदूपत्ता का संग्रहण द्रुत गति से जारी है। राज्य में अब तक संग्रहित मात्रा में से वनमण्डल बीजापुर में 40 हजार 239 मानक बोरा तथा सुकमा में 56 हजार 996 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण शामिल है। इसी तरह वनमण्डल दंतेवाड़ा में 10 हजार 252 मानक बोरा, जगदलपुर में 14 हजार 736 मानक बोरा, दक्षिण कोण्डागांव में 12 हजार 453 मानक बोरा तथा केशकाल में 17 हजार 255 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। वनमण्डल नारायणपुर में 11 हजार 238 मानक बोरा, पूर्व भानुप्रतापपुर में 13 हजार 911 मानक बोरा, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 11 हजार 30 मानक बोरा तथा कांकेर में 20 हजार 167 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हो चुका है।

इसी तरह वनमण्डल राजनांदगांव में 12 हजार 677 मानक बोरा, खैरागढ़ में 4 हजार 3 मानक बोरा, बालोद में 13 हजार 565 मानक बोरा तथा कवर्धा में एक हजार 373 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। वनमण्डल धमतरी में 13 हजार 510 मानक बोरा, गरियाबंद में 61 हजार 126 मानक बोरा, महासमुंद 47 हजार 619 मानक बोरा तथा बलौदाबाजार 12 हजार 183 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है। वनमण्डल बिलासपुर में 5 हजार 311 मानक बोरा, मरवाही में 104 मानक बोरा, जांजगीर-चांपा में 3 हजार 297 मानक बोरा, रायगढ़ में 23 हजार 20 मानक बोरा, धरमजयगढ़ में 29 हजार 100 मानक बोरा, कोरबा में 9 हजार 872 मानक बोरा तथा कटघोरा में 10 हजार 202 मानक बोरा का संग्रहण हुआ है।

कोविड-19 संक्रमण से मुक्त करने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स और केट ने बाजार खोलने के लिए मुख्यमंत्री दिया सुझाव

» मुख्यसचिव एवं कलेक्टर से नियमानुसार बाजार खोलने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया

रायपुर (आरएनएस)। शराब की दुकानों को एक निश्चित समय के लिए खोला जाए यहां भी कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए। मास्क लगाकर बाजार क्षेत्र में नहीं आने वाले उपभोक्ताओं को जहां पकड़े जाएं वही उठक - बैठक लगवाई जाए । (06)

शहर के अंदर वाहनों को प्रतिबंधित किया जाए या व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की जाए ।

उपभोक्ता सामग्री की मूल्य सूची नियंत्रित की जाए खाद्य एव औषधि विभाग को उपरोक्त संदर्भ में तत्काल प्रभाव से सजग किया जाना चाहिए।

संक्रमण के दौर में जिला प्रशासन, राजनीतिक दल के प्रमुख, समाचार पत्र के प्रतिनिधि, व्यापार एव उद्योग संगठनों के प्रमुखों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जोड़कर एक वृहद टीम का गठन जिला, तहसील,ब्लॉक स्तर पर किया जाना चाहिए। कोविड-19 संक्रमण के दौरान सिर्फ व्यापार एवं उद्योग जगत को शासन प्रशासन प्रतिबंधित करता है क्या इन वर्गों पर लगाम लगाने से संक्रमण समाप्त हो जाता है विचार करे । जिलाधीश के संरक्षण में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य चिकित्सा, व्यापार उद्योग की संयुक्त टीम समय-समय पर बैठक आयोजित होनी चाहिएऔर सभी से सारगर्भित सुझाव लेकर कार्य योजना को तैयार किया जाना चाहिए । अंतिम और महत्वपूर्ण जब कभी भी किसी भी तरह का संक्रमण फैलता है तो केंद्र की सरकार से संबंद्ध सभी वित्तीय संस्थाएं या निजी फाइनेंस कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं देती बल्कि उस दौरान उनके सभी कार्य यथावत चालू रहते हैं आम व्यापारियों उद्योगपतियों एवं उपभोक्ताओं के खाते में ब्याज यथावत जुड़ते रहता है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संक्रमण के दौर में शासन द्वारा घोषित तारीख से ही ब्याज सहित अन्य वित्तीय जटिल समस्याओं का निराकरण तत्काल प्रभाव से केंद्र और राज्य सरकार को करना चाहिए।

मेडिकल कारोबारी से 6 लाख 80 हजार की ठगी हुई, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के एक मेडिकल कारोबारी को सूरत के कारोबारी द्वारा रेमडेसीविर इंजेक्शन और डेड बाडी बेड की सप्लाई करने का झांसा देकर 6.80 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। ठगी के शिकार पंकज जैन ने माना कैंप पुलिस थाने में गुरुवार को इसकी शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। जांच के बाद कार्रवाई करने की जानकारी थाना प्रभारी ने दी है। जानकारी के मुताबिक डूमरतराई स्थित औषधि वाटिका मेडिकल काम्पलेक्स में शाप नंबर 167 में पंकज जैन की डायमंड एजेंसी के नाम से फर्म है। यह फर्म मेडिकल उपकरणों, दवाइयों की खरीद-बिक्री का काम करती है। पंकज जैन ने बताया कि इंडिया मार्ट के माध्यम से सूरत की आदिनाथ डिस्पोजल नामक फर्म ने संपर्क कर मेडिकल सामान की उपलब्धता बताकर आर्डर करने को कहा। पंकज ने फर्म पर भरोसा कर 16 अप्रैल को डेड बाडी बेड और रेमडेसीविर इंजेक्शन की सप्लाई करने का आर्डर देते हुए फर्म द्वारा बताए गए बैंक खाते में दो बार में कुल 6.80 लाख चार सौ रुपये का भुगतान कर दिया। पैसे मिलने के बाद आदिनाथ फर्म के संचालक कौशल बोरा ने जल्द से जल्द सामान की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक सामान की डिलीवरी नहीं की।

कटीली तारों के बीच लटकती मिली आरक्षक की लाश, मची सनसनी

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जिले में बीती रात कांस्टेबल का शव लकड़ी से बंधे तारों के साथ लिपटा हुआ पाया गया है। पुलिस इसे एक हादसा बताकर इस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने कांस्टेबल पुष्पराज की मौत को हत्या बताकर उसकी जांच उच्च अधिकारियों से कराने की मांग कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार के रात 12 से 1 बजे की बतायी जा रही है। जांजगीर थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके पर पुष्पराज सिंह की लाश तारों से लिपटी हुई पायी गई है। शव के पास उसकी स्कूटी भी पड़ी मिली है। इधर इस घटना की जानकारी के बाद कांस्टेबल के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं मृतक कांस्टेबल के परिजनों ने इस पूरे मामले को हत्या से जोड़कर इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे है। दरअसल परिजनों का कहना हैं कि पुष्पराज पीड़ित पुलिसकर्मियों की आवाज सोशल मीडियां के माध्यम से लगातार उठा रहा था। इसी वजह से उसे कई बार धमकी भरे फोन भी आते थे। साथ ही जान से मारने की धमकी भी उसे दी जाती थी। परिजनों को आशंका हैं कि इसी वजह से उसकी हत्या की गयी होगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को महज एक हादसा बताकर इसकी जांच की बात कह रही है।

एसपी ने न्यायायिक जांच के लिए कलेक्टर को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध मौत के मामलें में एसपी पारूल माथुर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर मजिस्ट्रियल जांच के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने कहा है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियोरैसपाइरेटरी अरेस्ट (हृदय की धड़कन रुकने) से मौत होने की बात सामने आई है। आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत के मामले में पुलिस का कहना था कि आंधी तूफान की वजह से टूटे थे बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। जबकि परिजन सहित कई राजनीतिक पार्टी ने हत्या की आशंका जाहिर की है। आरक्षक पुष्पराज सिंह सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर लगातार पोस्ट किया करता था। वहीं पुष्पराज के एक विडियों के अनुसार उसके पास पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार का कई सबूत थे जिसे वह जल्द ही वह सबके सामने लाने वाला था। इसी दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसमर्पण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षेत्र में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता फैला करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

सेंट्रल जेल में महिला बंदी का किया गया टीकाकरण, नियमित रूप से किया जा रहा है टीकाकरण

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर सेंट्रल जेल में कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण का कार्य जारी है । इसी के चलते सेंट्रल जेल में बंद निर्धारित आयु वर्ग की महिला बंदी को भी कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीककरण टीम सेंट्रल जेल में जाकर गाइड लाईन का पालन करते हुऐ टीकाकरण का कार्य कर रही हैं।

मीडिया प्रभारी गजेंद्र डोंगरे ने बतायाः ''सेंट्रल जेल में 1अप्रैल को वहां के बंदी को प्रथम डोज़ का कोरोना टीकाकरण किया गया था । कुल 95 बंदी का टीकाकरण हुआ जिसमें 45 अधिक आयु के 70 और 60 से अधिक आयु के 25 बंदी थे। वहीं 5 फ्रंटलाइन कर्मियों को दूसरे डोज़ का टीकाकरण हुआ । कुल 100 लोगों का अब तक टीकाकरण किया गया था ।

उसके बाद 12 मई को 45 वर्ष से ऊपर के 60 बंदी को वैक्सीन का प्रथम डोज़ लगाया गया था । अगले दिन 60 लोगों को प्रथम डोज और 30 लोगों को द्वितीय डोज़ स्वास्थ्य विभाग की स्टाफ नर्स मीला पटेल और एएनएम जूली साहू द्वारा दिया गया है । 14 मई को 48 महिला बंदी को प्रथम डोज और 40 पुरूष बंदी को द्वितीय डोज़ लगा है । इसी परिपेक्ष में शुक्रवार को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल के निर्देश पर मीडिया प्रभारी गजेंद्र डोंगरे एवं सेक्रेटेरियल असिस्टेंट राज यदु द्वारा सेंट्रल जेल में चल रही थी टीकाकरण की मानिटरिंग का कार्य किया गया । जेल में बंद बंदी और जेल कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए वैक्सीनेशन किया जाना जरूरी था। वहीं, संक्रमण प्रसार को देखते हुए जेल में संचालित की जाने वाली टीकाकरण की गतिविधियों में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुऐ किया जा रहा है।

टीकाकरण के बाद किसी प्रकार की प्रतिकूल घटना होती है तो बंदी को अस्पताल ले जाने के लिए एंबूलेंस आदि भी तैयार रहती है । हालांकि अब तक हुए टीकाकरण में किसी भी तरह के प्रतिकूल प्रभाव की बात नही है।

टीका लेने के बाद सभी बंदी की निगरानी की जा रही है। अब तक टीकाकरण के बाद किसी भी बंदी को कोई परेशानी नहीं हुई है। सेंट्रल जेल में चलाये जा रहे टीकाकरण अभियान का जायजा प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।